**ग्रामीण रुग्णालय जिवती, जि. चंद्रपुर येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम व निवासस्थानाच्या बांधकाम (टप्पा-३) अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**सार्वजनिक आरोग्य विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२६/प्र.क्र.०३/पासु-२**
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत,
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ४०० ००१.
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०२६

**वाचा :**

**१)सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३ /टे.६ /ग्रारुजिवतीपहिलामाळाबांधकाम/१६७९९-८०० /२५, दि.०२.१२.२०२५.**

**प्रस्तावना :**

ग्रामीण रुग्णालय जिवती, जि. चंद्रपुर येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम व निवासस्थान बांधकामाच्या (टप्पा-३) रु.२१५१.९४ लक्ष इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :**

ग्रामीण रुग्णालय जिवती, जि. चंद्रपुर येथील मुख्य इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम व निवासस्थान बांधकामाच्या (टप्पा-३) सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु. २१५१.९४ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

**अटी व शर्ती :-**

१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास शासनाच्या वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे.

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे.

३) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुरी घेण्यात यावी.

४) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची तांत्रीक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.

५) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

६) सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी.

७) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी.

८) क्षेत्रीय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावीत कामाच्या किंमतीमध्ये अनावश्यक वाढ करण्यात येवू नये.

९) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रीकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल.

१०) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधीत नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील.

११) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

१२) रुग्णालयाचे नकाशे तपासून नकाशांमध्ये रुग्णालयासाठी आवश्यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्ती व रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत.

१३) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे.

१४) प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

१५) क्षेत्रीयस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा.

१६) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी.

१७) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.

२. उपरोक्त १ ते १७ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील.

३. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४ - सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१) ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल.

४. ग्रामीण रुग्णालय जिवती, जि. चंद्रपुर येथील टप्पा-३ मुख्य इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम व निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६१०२३१२०६५६६७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Deepali Sayaji Patil

Digitally signed by Deepali Sayaji Patil
DN: cn=Deepali Sayaji Patil, o, ou, email=deepali.patil@nic.in, c=IN
Date: 2026.10.23 17:07:58 +05'30'

**(दिपाली पाटील)**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर.
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई.
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई.
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई.
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा नागपुर मंडळ, नागपुर.
७. जिल्हाधिकारी,चंद्रपुर.
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपुर
९. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,चंद्रपुर.
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपुर.
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई.
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१३. निवडनस्ती (पायाभुत सुविधा-२).

प्र.क्र [illegible] / [illegible]
FINAL

Name of the Department : Public Health Department

Name of Work : Expansion of rural Hospital and construction of Type II & type IV Residential Quarter for Rural Hospital At Jiwati, tal.Jiwati, Dist.Chandrapur.

Executing Agency : PWD

Land Availability : Yes

Architect : Govt /Private

RECAPITULATION SHEET

| Sr. No. | Particulars of Scope | | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum etc.) | | Cost Rs. Component Wise | Cost Rs. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) | | | | | |
| 1 | Building proper (Built Up Area - Sq.m) | | | | | |
| | Hospital Building | | | | | |
| | First Floor | 1955.19 | Sq. M | 34,000 | 6,64,76,460 | |
| 2 | Residential Quarters | | | | | |
| | Type-II | | | | | |
| | Stilt Floor | 39.53 | Sq. M | 16,000 | 6,32,480 | |
| | first fioor | 276.18 | Sq. M | 28,000 | 77,33,040 | |
| | second fioor | 276.18 | Sq. M | 28,000 | 77,33,040 | |
| | Third fioor | 276.18 | Sq. M | 34,000 | 93,90,120 | |
| | Type-IV | | | | | |
| | Stilt Floor | 35.86 | Sq. M | 16,000 | 5,73,760 | |
| | first fioor | 238.46 | Sq. M | 28,000 | 66,76,880 | |
| | second fioor | 238.46 | Sq. M | 28,000 | 66,76,880 | |
| | Third fioor | 238.46 | Sq. M | 34,000 | 81,07,640 | |
| | Total B.U.A. = | 3574.50 | Sq. M | | Sub Total (A1) | 11,40,00,300 |
| 2 | Electrification | Internal | | 5% of (A1) | 57,00,015 | |
| | | External | | 6% of (A1) | 68,40,018 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | | 28,59,600 | |
| | Hospital | 1955.19 | Sq. M | @1200/Sq.mt. | 23,46,228 | |
| | Residential | 1619.31 | Sq. M | @800/Sq.mt. | 12,95,448 | |
| | Air Conditioning System (HVAC) ( 35 TR) | 357.45 | Sq. M | 25000 | 7,64,546 | |
| | Lift (1 No) | | | L.S. | 20,00,000 | |
| | Solar System | | | L.S. | 10,00,000 | |
| | CCTV | | | L.S. | 8,00,000 | |
| | Internet & LAN facility | | | L.S. | 8,00,000 | |
| | | | | | Sub Total (2) | 2,44,05,855 |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A1) | | Sub Total (3) | 57,00,015 |
| 4 | Furniture | | | | | |
| | Hospital (G+1) 3912.38 of 70% | 2738.66 | Sq. M | 5,000 | 13693300 | |
| | Residential(Type ii&iv) 1543.92 of 70% | 1080.74 | Sq. M | 2,500 | 2701850 | |
| | | | | | Sub Total (4) | 1,63,95,150 |
| | | | | | Sub Total (A) | 14,41,06,170 |
| (B) | MISCELLANEOUS ITEMS | | | | | |
| | Dismantling of Old Building | | | L.S. | 10,00,000 | |
| | Compound Wall | 708.00 | Rmt | 13,500 | 95,58,000 | |
| | Borewell & Pump House | | | L.S. | 5,00,000 | |
| | Water main storage (overhead) | 150000 | lit | 23.00 | 34,50,000 | |
| | Internal road, Parking, Land Scaping, Soil Investigation etc. | | 4.5% of (A1) | | 51,30,014 | |
| | Retaining Wall with Land Development, | | | | 50,00,000 | |
| | | | | | Sub Total (B) | 2,46,38,014 |
| | | | | Project Cost (P)= (A) + (B) | | 16,87,44,183 |
| (C) | PROVISIONS | | | | | |
| | (i) Contingencies | | 3% on (sub total A1) | | 34,20,009 | |
| | (ii) GST | | 18% on (P) | | 3,03,73,953 | |
| | (iii) Price Escalation | | 5% on (P) | | 84,37,209 | |
| | (iv) PMC Charges 1.5% on (P) | | | | 25,31,163 | |
| | (V) Labour Insurance | | 1% on (P) | | 16,87,442 | |
| | | | | | Sub Total (C) | 4,64,49,776 |
| | | | | TOTAL PROJECT COST (TPC) | (A+B+C) | 21,51,93,959 |
| | | | | Say Rs. Lakhs | 2151.94 | |
| | | | | | 21.52 | |
| 1 | Bldg Civil (A1) | | `= Rs | 31,893 | /Sqm | |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) | | `= Rs | 40,315 | /Sqm | |
| 3 | Total (A+B) | | `= Rs | 47,208 | /Sqm | |